कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम–मंत्रालय, भारत–सरकार
(MINISTRY OF LABOUR, GOVT. OF INDIA)
क्षेत्रीय कार्यालय/REGIONAL OFFICE
चित्रकूट नगर, भुवाणा, उदयपुर (राज0) 313 004
CHITRAKOOT NAGAR, BHUWANA, UDAIPUR(RAJ) 313 004
Tel. 0294-2441527, 2813257, Fax-2442282, Email :ro.udaipur@epfindia.gov.in

कमांकः क्षेका/उदय/प्रशा0/वाहन किराया/ दिनांकः– 18.04.2018

# वाहन किराए पर लेने हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर स्थित कार्यालय कार्य हेतु एक SWIFT DZIRE/TOYOTA ETIOS/HONDA AMAZE नई कार किराए पर आपुर्ति हेतु मुहरबंध निविदाएं आमंत्रित करता है।

ट्रेवल एजेन्सी के साथ अनुबंध हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें संगठन की वेबसाईट **www.epfindia.gov.in** पर उपलब्ध है। परिशिष्ट क,ख एवं ग और करारनामा को स्पष्ट एवं सुन्दर अक्षरों में भरकर कार्यालय में निर्धारित समय सीमा में जमा करवाएं।

मुहरबंद निविदाएं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को संबोधित करते हुए उल्लेखित पत्ते पर दिनांक 14.05.2018 को सांय 3.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व प्रस्तुत की जानी चाहिए। देय तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। कार्यालय को बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकार (निरस्त) करने का पुर्ण अधिकार है। निविदा दिनांक 14.05.2018 को सांय 4.00 बजे खोली जायेगी।

भवदीय

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

# किराए पर वाहन संबंधी करारनामा

यह करारनामा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि., अपर केन्द्रीय आयुक्त (जोन)/निदेशक (नाटरस)/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -I _______________ के माध्यम से (इसके बाद प्रथम पार्टी के नाम से संबोधित) एवं ______________________ (इसके बाद द्वितीय पार्टी के नाम से संबोधित) के बीच आज ____________________ को हुआ, जो यदि मान्य न रहे अथवा यह संदर्भ के विरूद्ध हो तो इसमें वारिस, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधियों तथा अनुमत अधिन्यासी भी शामिल होगें।

जबकि प्रथम पार्टी द्वितीय पार्टी से _________________ वाहन किराए पर लेने की इच्छुक है और जबकि द्वितीय पार्टी नीचे दी गई शर्तों एवं विनियमों पर वाहन उपलब्ध कराने को सहमत है :-

**अब यह करारनामा इस प्रकार किया जाता है :-**

1. इस करारनामे में, शब्द एवं भाव ठीक वही हैं जो ठेके की सामान्य शर्तों में दिए गए हैं ।
2. निम्नलिखित दस्तावेज करारनामे का भाग होंगे एवं इस करारनामे के भाग के रूप में पढ़े जाएंगे :

| | | |
|---|---|---|
| क. वाहनों का विवरण | - | परिशिष्ट 'क' |
| ख. किराया प्रभार | - | परिशिष्ट 'ख' |
| ग. करार की सामान्य शर्तें | - | परिशिष्ट 'ग' |

**परिशिष्ट ग**

1. वाहन से संबंधित, वाहन चालक/तेल, पेट्रोल/डीजल, बीमा, कर, मरम्मत एवं रखरखाव संबंधी खर्च प्रभार, जिस भी नाम से पुकारा जाए, द्वितीय पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा।
2. चालक एवं वाहन, मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य संबंधित कानूनों के उपबन्धों की पूर्णतः पालन करेंगें, चालक पूरा समय वर्दी (सफेद सफारी सूट/सफेद शर्ट –पेन्ट) अवश्य पहने हुऐ होना चाहिए। उसकी सेवांए नियंत्रक अधिकारी की संन्तुष्टि के अनुरूप होगी। यदि किसी भी चालक को किसी अधिकारी के निर्देशों से हटाया गया है तो उसे विभाग के किसी भी अधिकारी के पास नहीं लगाया जाएगा।
3. चालक के कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अन्तर्गत नियमों की पालना ।
4. द्वितीय पार्टी/चालक अंधाधुध ड्राईविंग/दुर्घटना आदि के कारण उत्पन्न होने वाली कानूनी/आर्थिक भरपाई के लिए अकेले ही पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगा।
5. माईलेज की गणना प्रथम पार्टी के कार्यालय से होगी।
6. वाहन में ईंधन भरने, मरम्मत एवं रख रखाव में खर्च होने वाला समय माईलेज में नहीं गिना जाएगा।
7. यदि वाहन खराब हो जाए अथवा मरम्मत हो रहा है अथवा चालक अनुपस्थित है अथवा चालक ने शराब पी रखी हो तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पार्टी आधे घंटे के भीतर दूसरा वाहन एवं चालक उपलब्ध करवाएगी। परन्तु यदि द्वितीय पार्टी ऐसा करने में असफल रहती है अथवा उपलब्ध कराया गया वाहन/चालक संतोषप्रद नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पार्टी अन्य चालक एवं वाहन किराए पर लेने, इसके लिए प्रभार की वसुली, दंड स्वरूप रू0 2000/– प्रतिदिन सहित द्वितीय पार्टी से वसूलने की हकदार होगी।
8. वाहन किराए पर लेने संबंधी करार को कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को 45 दिन का नोटिस देकर समाप्त कर सकती है।
9. वाहन एवं चालक क्षेत्र/अचल से बाहरी क्षेत्राधिकार में वाहन चलाने का पात्र एवं इच्छूक होना चाहिए।
10. द्वितीय पार्टी द्वारा किए गए मासिक बिलों पर किराए के प्रभार को अकाउंट पेयी चैक के माध्यम से आयकर अधिनियमों के अपबंधों के अन्तर्गत स्त्रोत पर कर काटकर भुगतान किया जाएगा।

11. देय किराए के प्रभार की गणना के उद्देश्य से द्वितीय पार्टी द्वारा लॉग बुक उपलब्ध कराई जाएगी। लॉग बुक का प्रारूप ठीक वैसा ही होगा जैसा कि केन्द्र सरकार/कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने कार्यालयी वाहनों हेतु प्रयोग में लाया जाता है। लॉग बुक का रख रखाव द्वितीय पार्टी द्वारा किया जाएगा एवं इसे दैनिक आधार पर पार्टी स्वयं अथवा इस कार्य हेतु नामित अधिकारी के माध्यम से सत्यापित कराया जाएगा। करार पूर्ण होने के पश्चात् लॉग बुक द्वितीय पार्टी द्वारा जमा करवाई जाएगी।

12. वाहन/चालक के रिपोर्ट करने की समय–सीमा का पालन कडाई से किया जाएगा एवं आधे घंटे से अधिक की देरी के लिए प्रथम पार्टी अन्य चालक/वाहन किराए पर लेने, इसके लिए प्रभार की वसुली, दंड स्वरूप रू0 1000/– प्रतिदिन सहित द्वितीय पार्टी से वसूलने की हकदार होगी।

13. वाहनों की मरम्मत एवं रख रखाव को द्वितीय पार्टी द्वारा समय पर उचित प्रकार से न करने के मामलों में प्रथम पार्टी को अधिकार होगा की वह मरम्मत करवाए एवं देय प्रभार से धनराशि की वसूली करे। यदि वाहनों को अच्छी स्थिति में नहीं रखा जाता है तो किराए संबंधी करार को 15 दिन के पूर्व नोटिस पर समाप्त कर दिया जाएगा।

14. वाहनों से संबंधित सभी खर्च (टोल/पार्किंग) एवं कानूनी औपचारिकताएं द्वितीय पार्टी द्वारा वहन एवं पूरी की जाएगी।

15. मासिक किराया प्रभार में सभी कर, उपकर आदि सम्मिलित होंगे, यदि इसका प्रावधान अन्यथा विशिष्ट रूप से न किया गया हो।

16. द्वितीय पार्टी केराए प्रभार के रूप में 2300 किलोमीटर की दूरी के लिए रू0 ........... का मासिक बिल अगले माह की 15 तारीख अथवा इससे पूर्व प्रस्तुत करेगी एव तदनुसार प्रथम पार्टी द्वारा भुगतान किया जाएगा। अतिरिक्त माईलेज (उपरलिखित सीमा से अधिक) के लिए भुगतान रू ......... प्रति किलोमीटर की दर से किया जाएगा।

17. सभी दिवसों हेतु चालकों एवं वाहनों के ड्यूटी घंटे सुबह 08.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक होंगे। आपातकालीन स्थिति में चालकों को 24 घंटे की ड्यूटी हेतु भी रोका जा सकता है जिसके लिए ओवर टाईम का भुगतान किया जाएगा। यदि चालक शराब के नशे अथवा ड्रग्स आदि के नशे की हालात में पाया जाता है तो रू0 1500/– आर्थिक दंड द्वितीय पार्टी से वसूला जाऐगा।

18. करार दिनांक 23.05.2018 से 22.05.2019 तक प्रभावी रहेगा।

19. परिशिष्ट 'ख' में दी गई दरों पर प्रथम पार्टी द्वारा द्वितीय पार्टी के किए जाने वाले भुगतान पर विचार करते हुए द्वितीय पार्टी प्रथम पार्टी से परिशिष्ट 'क' में वर्णित वाहन किराए पर उपलब्ध कराने हेतु पारस्परिक करार करती है।
20. प्रथम पार्टी एतद्दारा द्वितीय पार्टी को अधिकार प्रभार अथवा ऐसी राशि जो करार के उपबंधों के अनुसार देय बनती है, के भुगतान करने का पारस्परिक करार प्रथम पार्टी से परिशिष्ट 'क' में वर्णित वाहन किराए पर होने हेतु करती है।
21. द्वितीय पार्टी को ठेका मिलने के 15 दिन के भीतर केन्द्रिय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के नाम से वार्षिक 10 प्रतिशत राशि की बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी, जो ठेका संतोषप्रद रूप से पूरा होने पर लौटा दी जाएगी।
22. सभी कानूनी विवाद उदयपुर के अधिकार क्षेत्र में होगें।

पहले उपर लिखे गए दिन एवं वर्ष को इस प्रकार के, दो प्रतियों में लागू करने में, पार्टी के गवाह है।

| | |
|---|---|
| कृते एवं की ओर से | कृते एवं के0 न्यासी बोर्ड, क0 भ0 निधि की ओर से |
| हस्ताक्षरित | हस्ताक्षरित |
| नामः– | नामः– |
| पताः– | पताः– |
| गवाह | गवाह |